भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3732

11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- कृषि परिवारों की औसत मासिक आय

3732. श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नवीनतम उपलब्ध कृषि वर्ष के आकड़े के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में कृषि परिवार की औसत मासिक आय 900 रुपये प्रति माह भी नहीं है;

(ख) मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में कृषि परिवार की औसत मासिक आय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत भी वर्ष 2012-13 के 92.9% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 93.2% हो गया है;

(घ) वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 में कितने प्रतिशत कृषि परिवार ऋणग्रस्त हैं; और

(ङ) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि कृषि परिवार की आय बढ़े और ऋणग्रस्तता वर्तमान 90%+ से घटकर 50% पर आ जाए?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): देश में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय और ऋणग्रस्तता का आकलन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (वएनएसओ) द्वारा समय-समय पर आयोजित "कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस)" के माध्यम से किया जाता है। एमओएसपीआई द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए नवीनतम स्थिति आकलन सर्वेक्षण (जनवरी 2019 - दिसंबर 2019) (एनएसएस के 77वें दौर के माध्यम से) के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,480 रुपये है।

एनएसओ द्वारा किए गए पिछले दो स्थिति आकलन सर्वेक्षणों के अनुसार, आंध्र प्रदेश में वर्ष 2012-13 और 2018-19 में ऋणी कृषि परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 92.9% और 93.2% था। चूँकि अंतिम सर्वेक्षण वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था, अतः वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय तथा ऋणी कृषि परिवारों के प्रतिशत से संबंधित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ): कृषि राज्य का विषय है। सरकार किसानों के बेहतर कल्याण और देश भर में कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए उपयुक्त नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने, कृषि लागत कम करने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित करने और किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिए कई नीतियां और विकास कार्यक्रम लागू किए हैं। इन पहलों में कृषि के सभी क्षेत्र यथा ऋण, बीमा, आय सहायता, अवसंरचना, बागवानी सहित फसलें,

बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार गतिविधियां, फसलों की खरीद आदि शामिल हैं।

दीर्घकालिक रूप से ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए, सरकार भारत के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्णतः केंद्र द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना, संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों द्वारा अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है। केसीसी-एमआईएसएस योजना के कारण, किसानों को अपनी प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसान और किफायती ऋण तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस योजना के तहत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण प्राप्त होता है। इसे सुगम बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% की अग्रिम ब्याज सब्सिडी (आईएस) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, समय पर ऋण की अदायगी करने वाले किसानों के लिए 3% का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) प्राप्त होता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। वर्ष 2014-15 से संस्थागत कृषि ऋण का कुल उपलब्धता ₹8.5 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 (अनंतिम) के दौरान ₹28 लाख करोड़ से अधिक हो गया है, जबकि छोटे एवं सीमांत किसानों को वार्षिक संस्थागत ऋण उपलब्धता ₹3.47 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 के दौरान ₹14.77 लाख करोड़ हो गया है।

इसके अतिरिक्त, छोटे और सीमांत किसानों को सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करने और उन पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए, सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना कार्यान्वित कर रही है, जो 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष ₹6,000 की आय सहायता प्राप्त होती है। सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत, इसके शुभारंभ से अब तक 23 किस्तों में ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक का वितरण किया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के लिए बुआई पूर्व से फसलोपरांत तक फसल हानि के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत बटाईदार, किरायेदार और महिला किसान सहित सभी इच्छुक किसान पंजीकरण करा सकते हैं। वर्ष 2016 में योजना की शुरुआत से वर्ष 2025-26 तक, पीएमएफबीवाई के तहत 2.02 लाख करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया जा चुका है, जिससे किसानों को फसल हानि से सुरक्षा मिली है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत रिटर्न के साथ एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) में वृद्धि की थी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

"कृषि योग्य भूमि" के संबंध में दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3732 के उत्तर भाग (ङ) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - ऑयल पाम
3. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
4. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
5. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
6. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएच एंड एफ)
7. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
8. कृषि वानिकी
9. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
10. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
11. राष्ट्रीय बांस मिशन
12. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
14. पर ड्रॉप मोर क्रॉप(पीडीएमसी)
15. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
16. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
17. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
18. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
19. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
20. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
21. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
22. नमो ड्रोन दीदी
23. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन
24. स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्मियों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
25. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
26. डिजिटल कृषि मिशन
27. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
28. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)
29. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना
30. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन
